

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–

डब्लू० / एन०पी० / 91 / 2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—4. खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 2 जुलाई, 2020 आषाढ़ 11, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6

संख्या 1145 / 29-6—2020-135सा-2015 लखनऊ, 2 जुलाई, 2020

अधिसूचना

प0आ0-138

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 और जी०एस०आर०—2013(ई), दिनांक 20 मार्च, 2015 के अधीन प्रकाशित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना के साथ पिठत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1955) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित आदेश देते हैं।

उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन)

(द्वितीय संशोधन) आदेश, 2020

- 1—(1) यह आदेश उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का संक्षिप्त नाम, विनियमन) (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2020 कहा जायेगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
 - (3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

खण्ड 2 का संशोधन 2—उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 में खण्ड 2 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उपखण्ड (ण) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात :–

<u>स्तम्भ–1</u> विद्यमान उपखण्ड

<u>स्तम्भ–2</u> एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप खण्ड

(ण) "उचित मूल्य की दुकान के मालिक" का तात्पर्य किसी व्यक्ति से है, और इसमें आदेश के उपबंधों के अधीन नियुक्त उचित मूल्य की दुकान को चलाने के लिये प्राधिकृत कोई सहकारी समिति भी सम्मिलित है।

(ण) "उचित मूल्य की दुकान के मालिक" का तात्पर्य किसी व्यक्ति से है, और इसमें इस आदेश के उपबंधों के अधीन नियुक्त उचित मूल्य की दुकान को चलाने के लिये प्राधिकृत कोई सहकारी समिति और स्वयं सहायता समूह सम्मिलित हैं।

आज्ञा से, वीना कुमारी, प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1145/XXIX-6–2020-135 Sa-2015, dated July 2, 2020:

No. 1145/ XXIX-6–2020-135 Sa-2015 *Dated Lucknow, July* 2, 2020

IN exercise of the powers conferred under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Act no. 10 of 1955) *read* with the notification of the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Departyment of Food and Public Distribution) published under GSR-2013 (E), dated March 20, 2015 and section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following Order with a view to amending the Uttar Pradesh Essential Commodities (Regulation of Sale and Distribution Control) Order, 2016.

THE UTTAR PRADESH ESSENTIAL COMMODITIES (REGULATION OF SALE AND DISTRIBUTION CONTROL) (SECOND AMENDMENT) ORDER, 2020

Short title, extent and commencement

- 1. (1) This Order may be called the Uttar Pradesh Essential Commodities (Regulation of Sale and Distribution Control) (Second Amendment) Order, 2020.
 - (2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.
- (3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Gazette.

Amendment of clause 2

2. In the Uttar Pradesh Essential Commodities (Regulation of Sale and Distribution Control) Order, 2016, in clause in clause 2 *for* sub-clause (O) set out in Column-1 below, the sub-clause as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1

Existing sub-clause

(O) "Fair Price Shop Owner" means a person and includes a cooperative society authorized to run a fair price shop appointed under provisions of this order.

COLUMN-2

Sub-clause as hereby substituted

(O) "Fair Price Shop Owner" means a person and includes a co-operative society and self- help group authorized to run a fair price shop appointed under provisions of this order.

> By order, VEENA KUMARI, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० ९३ राजपत्र-2020-(१९०)-५९९ प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)। पी०एस०यु०पी०-ए०पी० १ सा० खाद्य एवं रसद-2020-(१९१)-५०० प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।